रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-22032023-244602 CG-DL-E-22032023-244602

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1336] No. 1336] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 22, 2023/चैत्र 1, 1945 NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 22, 2023/CHAITRA 1, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2023

सं. 61/2015-2020

विषयः आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची—I (आयात नीति) में यूरिया [एक्जिम कोड 31021000] की आयात नीतिगत शर्त में संशोधन।

का.आ. 1389(अ).—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015—2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पिठत विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 और धारा 5 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची—I (आयात नीति) के अध्याय 31 के यूरिया [एक्जिम कोड 31021000] की नीतिगत शर्त में तत्काल प्रभाव से, निम्नानुसार संशोधन करती है (संशोधनों को मोटे अक्षरों में दिया गया है):

एक्जिम कोड	मद विवरण	नीति	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
31021000	यूरिया, जलीय घोल में हो या नहीं हो	राज्य व्यापार उद्यम	पैरा 2.20 के अध्यधीन आरसीएफ और एनएफएल के माध्यम से आयात अनुमत है। इसके अलावा,	विदेश व्यापार नीति 2015—2020 के पैरा 2.20 के अध्यधीन आरसीएफ और एनएफएल के माध्यम से आयात अनुमत है। इसके अलावा, यूरिया का आयात 31.03.2024 तक की अवधि के लिए

1924 GI/2023 (1)

की अवधि के लिए आईपीएल के आईपीएल के माध्यम से भी अनुमत है। माध्यम से भी अनुमत है। सरकारी खाते में यूरिया के आयात (कृषि प्रयोजन के लिए) की अनुमति या तो सरकारी खाते में यूरिया के आयात (कृषि प्रयोजन के लिए) की अनुमति नामित एसटीई द्वारा स्वयं या किसी भी इकाई / इकाईयों या तो नामित एसटीई द्वारा स्वयं (उर्वरक विपणन या किसी भी इकाई/इकाईयों इकाईयों) के माध्यम से दी जाएगी, जो (उर्वरक विपणन इकाईयों) भारतीय पत्तनों पर प्रविष्टि बिल प्रस्तुत माध्यम से दी जाएगी, जो भारतीय करने के लिए समय-समय पर उर्वरक पत्तनों पर प्रविष्टि बिल प्रस्तत विभाग द्वारा प्राधिकृत की जाती हैं। करने के लिए समय-समय पर तथापि, गैर कृषि प्रयोजन / औद्योगिक उर्वरक विभाग द्वारा प्राधिकृत की उपयोग / एनपीके के विनिर्माण के प्रयोजन जाती हैं। हेत् तकनीकी ग्रेड युरिया (टीजीय) का गैर आयात "मुक्त" होगा। तथापि. कृषि प्रयोजन / औद्योगिक उपयोग / एनपीके के विनिर्माण के प्रयोजन हेत् तकनीकी ग्रेड यूरिया (टीजीयू) का आयात ''मुक्त'' होगा।

2. इस अधिसूचना का प्रभावः

सरकारी खाते में यूरिया (कृषि ग्रेड) के आयात को इंडिया पोटाश लिमिटेड (आईपीएल) के माध्यम से विदेश व्यापार नीति, 2015—2020 के पैरा 2.20 के अध्यधीन दिनांक **31.03.2024 तक** अनुमत किया गया है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है

[फा. सं. 01 / 89 / 180 / 102 / एएम—02 / पीसी—2(क) पार्ट—II / ई—1715] संतोष कुमार सांरगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd March, 2023

No. 61/2015-2020

Subject: Amendment in import policy condition of Urea [Exim Code 31021000] in the ITC (HS) 2022, Schedule – I (Import Policy).

S.O. 1389(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 and Section 5 of Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the policy condition of Urea [EXIM code 31021000] of Chapter 31 of ITC (HS), 2022, Schedule – I (Import Policy), with immediate effect, as under (changes made are given in **bold letters**):

Exim	Item Description	Policy	Existing Policy Condition	Revised Policy Condition
Code				
31021000	Urea, whether or not in aqueous solution	State Trading Enterprise	and NFL subject to Para 2.20 of Foreign Trade Policy, 2015-2020. In addition import of	Import allowed through RCF and NFL subject to Para 2.20 of Foreign Trade Policy, 2015-2020. In addition import of Urea is also allowed through IPL for a period up to 31.03.2024.

 _	
Import of Urea (for agriculture Import of Urea (for agricul	ture
purpose) on Government purpose) on Government	nent
Account shall be allowed Account shall be allowed ei	ther
either by designated STEs by designated STEs itself,	, or
itself, or through any through any entity/enti	ities
entity/entities (Fertilizer (Fertilizer Marketing Entit	ties)
Marketing Entities) so so authorized by	the
authorized by the Department Department of Fertilizer f	rom
of Fertilizer from time to time, time to time, for filing BE	s at
for filing BEs at Indian ports. Indian ports.	
However, import of Technical However, import of Technical	iical
Grade Urea (TGU) meant for Grade Urea (TGU) meant	for
non-agricultural purpose/ non-agricultural purp	ose/
industrial use/ NPK industrial use/ N	ŀРК
Manufacturing shall be "Free". Manufacturing shall be "Fre	e".

2. <u>Effect of this Notification:</u>

Import of Urea (Agricultural grade) on Government account is allowed through Indian Potash Limited (IPL) subject to Para 2.20 of Foreign Trade Policy, 2015-2020, till 31.03.2024.

This issues with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/89/180/102/AM-02/PC-2(A)Part-II/E-1715]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.